the acreage under tobacco and the number of unauthorised growers has gone up very rapidly, in which the registered growers... *{Interruptions)*

SHRIMATi PREMA CARIAPPA: I am asking not about the State of Karnataka only, but in general.

SHRI ARUN SHOURIE: The number of unauthorised registered growers in Karnatka is 18,751, number of unauthorised unregistered growers is 17,500 and the number of unlicensed barns is 23,274. In Andhra Pradesh, the number of registered growers is 42,000, number of unregistered growers is 1,100, and the number of unlicensed barns is 2,119. As there is excess production and you cannot store this commodity, the real cure is to go in for alternate crops. But I would certainly work on that with the Tobacco Board and other agencies.

**श्री सभापति** : माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा और माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न की परिधि के बाहर सप्लीमेंटरी न करें और मिनिस्टर भी उनका जवाब न दें ।

**अशक्त लोगों के कल्याण हेतु योजनाएं**

*††266.**श्री कृपाल परमार** :††

**डा. कुमकुम राय**:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान विकलांगों के कल्याण के लिए योजनाओं और आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है:,

(ख) उपयोग में लाई गई धनराशि का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है:,

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित विकलांगों की राज्य-वार संख्या कितनी है:,

(घ) योजना से संबंद्व संस्थाओं की संख्या कितनी है:,

(ङ) क्या उनकी संख्या में वृद्वि करने के संबंध में कोई प्रस्ताव है :,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री** (**श्री सत्यव्रत मुखर्जी** ) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री कृपाल परमार द्वारा पूछा गया ।

**विवरण**

(क) और (घ) पुनर्वास के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए तथा विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 6 राष्ट्रीय संस्थानों, 5 संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों, 4 क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों, और 82 जिला पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे है । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन की योजना (अम्ब्रेला स्कीम ) तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र तथा उपकरण खरीदने/लगाने के लिए करीब 800 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करता है राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम स्वरोजगार उद्यमों के लिये आसान ऋण प्रदान करता है । भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के सहायक यंत्रों और उपकरणों का उत्पादन और वितरण कर रहा है । ऑटिज्म प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अस्तित्व में आ गया है । इन योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का आंबटन राज्य-बार नहीं किया जाता है ।

(ख) और (ग) योजनाओं के अतंर्गत पिछले तीन वर्षो के दौरान योजना-वार उपयोग और लाभान्वित विकलांग व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-1 में (नीचे देखिए) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना के लिए तथा सहायक यंत्रों और उपकरणों को लगाने/खरीदने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के लिए राज्य-वार निर्मुक्त निधियां क्रमशः (संलग्न विवरण ॥ और ॥। में दी गई ) (नीचे देखिए)

(ड़) से (छ) दसवीं योजना में एक पुनर्वास विज्ञान कालेज तथा बहु विकलांग व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को शामिल किया गया है इसके अतिरिक्त,यह मंत्रालय अम्ब्रेला तथा एडिप (ए.डी.आई.पी.) योजनाओं के अंतर्गत कवरेज के विस्तार को भी जारी रखेगा ।

**विवरण - ।**

**अनुबन्ध**-1

**वर्ष** 1999-2000**से** 2001-2002 **तक राज्य-वार व्यय तथा वर्ष** 2001-2002 **में लाभान्वितों की संख्या**

| योजना/कायक्रमों का नाम | व्यय (रू.करोड़ में ) | | | लाभार्थी |
|---|---|---|---|---|
| | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2001-2002 |
| राष्ट्रीय संस्थान | 29.48 | 31.78 | 34.55 | 5,59,550 |
| भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर (एलिम्को) | 6.35 | 0.00 | 5.40 | 39,093 |

| योजना/कार्यक्रमो का नाम | व्यय (रू. करोड़ में ) | | | लाभार्थी |
|---|---|---|---|---|
| | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2001-2002 |
| सहायक यंत्रों तथा उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना | 28.42 | 29.01 | 43.44 | 1,95,000 |
| विंकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना | 53.97 | 62.12 | 60.86 | 1,25,000 |
| भारतीय मेरूदंड क्षति केन्द्र | 5.43 | 2.30 | 2.07 | 10,221 |
| मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास (कारपस निधि के रूप में ) | 4.00 | 44.00 | 51.00 | 293 (स्थापित स्थानीय स्तर की समित्तियों की संख्या ) |
| राष्ट्रीय विंकलांग वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद(इक्विटी अंशदान) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2,953 |
| निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं | 3.50 | 4.01 | 8.70 | 49,437 |
| मिशन मोड में प्रोद्योगिकी विकास परियोजनाएं | 0.68 | 0.30 | 1.04 | लागू नहीं |
| विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम | 5.00 | 55.52 | 43.61 | लागू नहीं |
| विकलांगों को रोजगार | 0.78 | 0.99 | 1.54 | 1,11,062 (30.6.2002 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति ) |
| भारतीय पुनर्वास परिषद | 2.61 | 4 47 | 3.20 | लागू नहीं |

**विवरण-II**

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-2002 तक विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना के अन्तर्गत राज्यवार निर्भुक्त निधियां ।

(रू.लाख में )

| राज्य | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 1208 | 1283.57 | 1151.63 |
| अरूणाचल प्रदेश | 13 | 6.32 | 18.98 |
| असम | 30.56 | 40.1 | 51.4 |
| बिहार | 57.68 | 162.46 | 225.42 |
| चंडीगढ़ | 1.42 | 6.56 | 5.21 |
| छत्तीसगढ़ | 0.00 | 9.07 | 12.49 |
| दिल्ली | 679.04 | 649.5 | 527.78 |
| गोवा | 17.68 | 12.64 | 24.07 |
| गुजरात | 75.68 | 114.52 | 125.83 |
| हरियाणा | 59.51 | 95.44 | 73.41 |
| हिमाचल प्रदेश | 32.42 | 15.84 | |
| जम्मू और कश्मीर | 7.24 | 12.22 | 4.35 |
| कर्नाटक | 571.99 | 640.57 | 658.88 |
| केरल | 442.04 | 483.72 | 539.83 |
| मध्य प्रदेश | 17.43 | 39.32 | 79.19 |
| महाराष्ट्र | 263.72 | 197.99 | 209.39 |
| मणिपुर | 57.06 | 56.63 | 59.89 |
| मेघालय | 17.41 | 46.38 | 60.1 |
| मिजोरम | 25.31 | 29.52 | 30.07 |
| नागालैंड | 0.00 | 2.82 | 1.7 |

| राज्य | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|
| उड़ीसा | 193.96 | 252.25 | 313.47 |
| पांडिचेरी | 1.44 | 6.58 | 5.84 |
| पंजाब | 64.94 | 91.38 | 79.85 |
| राजस्थान | 88.13 | 93.98 | 155.81 |
| तमिलनाडु | 325.69 | 396.06 | 426.57 |
| त्रिपुरा | 6.83 | 6.02 | 6.5 |
| उत्तर प्रदेश | 772.39 | 873.19 | 715.33 |
| उत्तरांचल | 0.00 | 95.85 | 35.18 |
| पश्चिम बगांल | 365.53 | 492.52 | 448.64 |
| सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
| झारंखड | 0.00 | 0.00 | 7.01 |
| दादरा नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 1.53 |

**विवरण-।॥**

वर्ष 1999-2000, 2000-01 के दौरान सहायक यंत्रों/ उपकरणों को खरीदने/ लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अन्तर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधिंया

(रू.लाख में)

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 134.25 | 211.09 | 325.38 |
| असम | 4.47 | 0.00 | 2.25 |
| अरूणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
| बिहार | 31.76 | 22.16 | 63.31 |
| छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 7.54 |
| गोवा | 0.98 | 1. | 1.95 |
| गुजरात | 101.25 | 119.37 | 155.92 |
| हरियाणा | 19.04 | 121.37 | 21.86 |
| हिमाचल प्रदेश | 19.80 | 98.29 | 6.25 |

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|
| झारखंड | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| कर्नाटक | 28.51 | 5.00 | 75.78 |
| केरल | 28.00 | 19.00 | 57.45 |
| मध्य प्रदेश | 110.87 | 76.30 | 60.68 |
| महाराष्ट्र | 149.85 | 159.98 | 144.33 |
| मणिपुर | 25.00 | 10.50 | 0.00 |
| उड़ीसा | 135.61 | 120.87 | 231.34 |
| पंजाब | 55.19 | 96.98 | 63.96 |
| राजस्थान | 348.78 | 360.00 | 382.92 |
| तमिलनाडु | 86.01 | 61.27 | 104.23 |
| त्रिपुरा | 1.45 | 0.72 | 4.15 |
| उत्तर प्रदेश | 1015.30 | 1052.94 | 1768.51 |
| पश्चिम बंगाल | 169.48 | 256.21 | 380.65 |
| दिल्ली | 376.17 | 117.65 | 401.68 |
| उत्तरांचल | 0.00 | 0.00 | 94.51 |

**Schemes for the welfare of disabled people**

†*266. SHRI KRIPAL PARMAR:††
SHRIMATI KUM KUM RAI :

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the details of the schemes and amount allocated for the welfare of handicapped persons during the last three years, State-wise;

(b) the details of the funds utilized, scheme-wise and State-wise;

(c) the number of handicapped persons benefited under the scheme, State-wise;

(d) the number of institutions connected with the schemes;

(e) whether there is any proposal to increase their number;

(f) if so, the details thereof; and

† Original notice of the question was received in Hindi.
††The question was actually asked on the flour of the House by Shri Kripal Parmar.

(g) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI SATYABRATA MOOKHERJEE): (a) to (g) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) and (d) A number of schemes and programmes are being implemented for manpower development in the field of rehabilitation and for providing service to the persons with disabilities through 6 National Institutes, 5 Composite Rehabilitation centres, 4 Regional Rehabilitation Centres and 82 District Disability Rehabilitation Centres. The Ministry of Social Justice and Empowerment also supports over 800 Non-Governmental Organisations (NGOs) under the scheme to Promote Voluntary Action for Persons with Disabilities (Umbrella Scheme) and Assistance to Disabled for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP). National Handicapped Finance Development Corporation (NHFDC) provides soft loans for self-employment ventures. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is manufacturing and distributing various types of aids and appliances for persons with disabilities. The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities has came into being. Funds under these schemes and programmes are not allocated State-wise.

(b) and (c) Scheme-wise utilization for the last three years and number of persons with disabilities benefited under the schemes are given in Statement-I *{See* below). State-wise release of funds for the Scheme to Promote Voluntary Action for Persons with Disabilities and Scheme of Assistane to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances is given in enclosed Statement-ll and III (See below) respectively.

(e) to (g) Proposals to set up a College of Rehabilitation Sciences and a National Institute of Multiple Handicapped have been included in the Tenth Five Year Plan. Also the Ministry will continue to expand coverage under the Umbrella and ADIP schemes.

***Statement-I***

*Scheme-wise expenditure from 1999-2000 to 2001 -2002 and number of beneficiaries in 2001 -2002*

| Name of Scheme/ | Expenditure (Rs. in crores) | | | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Programme | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2001-2002 |
| National Institutes | 29.48 | 31.78 | 34.55 | 5,59,550 |
| Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO), Kanpur | 6.35 | 0.00 | 5.40 | Not Applicable |
| Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances | 28.42 | 29.01 | 43.44 | 1,95,000 |
| Scheme to Promote Voluntary Action for Persons with Disabilities | 53.97 | 62.12 | 60.86 | 1,25,000 |
| Indian Spinal Injury Centre | 5.43 | 2.30 | 2.07 | 10,221 |
| National Trust for Person with Mental Retardation (As corpus fund) | 4.00 | 44.00 | 51.00 (No. of Local Level Committees set up) | 293 |
| National Handicapped Finance and Development Corporation (NHFDC), Faridabad (Equity contribution) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2,953 |
| Schemes arising out of the Implementation of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 | 3.50 | 4.01 | 8.70 | 49,437 |
| Technology Development Projects in Mission Mode | 0.68 | 0.30 | 1.04 | Not Applicable |
| National Programme for Rehabilitation of the Persons with Disabilities | 5.00 | 55.52 | 43.61 | Not Applicable |
| Employment of the handi-capped | 0.78 | 0.99 | 1.54 (Persons registered as on 30.06.2002) | 1,11062 |
| Rehabilitation Council of India | 2.61 | 4.47 | 3.20 | Not Applicable |

***Statement-II***

*State-wise release of funds under the Scheme to Promote Voluntary Action for Persons with Disabilities from 1999-2000 to 2001-2002*

(Rs. in lakhs)

| State | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 1208.00 | 1283.57 | 1151.63 |
| Arunachal Pradesh | 13.00 | 6.32 | 18.98 |
| Assam | 30.56 | 40.10 | 51.40 |
| Bihar | 57.68 | 162.46 | 225.42 |
| Chandigarh | 1.42 | 6.56 | 5.21 |
| Chhattisgarh | 0.00 | 9.07 | 12.49 |
| Delhi | 679.04 | 649.50 | 527.78 |
| Goa | 17.68 | 12.64 | 24.07 |
| Gujarat | 75.68 | 114.52 | 125.83 |
| Haryana | 59.51 | 95.44 | 73.41 |
| Himachal Pradesh | 32.42 | 15.84 | 24.49 |
| Jammu & Kashmir | 7.24 | 12.22 | 4.35 |
| Kamataka | 571.99 | 640.57 | 658.88 |
| Kerala | 442.04 | 483.72 | 539.83 |
| Madhya Pradesh | 17.43 | 39.32 | 79.19 |
| Maharashtra | 263.72 | 197.99 | 209.39 |
| Manipur | 57.06 | 56.63 | 59.89 |
| Meghalaya | 17.41 | 46.38 | 60.10 |
| Mizoram | 25.31 | 29.52 | 30.07 |
| Nagaland | 0.00 | 2.82 | 1.70 |
| Orissa | 193.96 | 252.25 | 313.47 |
| Pondicherry | 1.44 | 6.58 | 5.84 |
| Punjab | 64.94 | 91.38 | 79.85 |
| Rajasthan | 88.13 | 93.98 | 155.81 |
| Tamil Nadu | 325.69 | 396.06 | 426.57 |
| Tripura | 6.83 | 6.02 | 6.50 |
| Uttar Pradesh | 772.39 | 873.19 | 715.33 |
| Uttaranchal | 0.00 | 95.85 | 35.18 |
| West Bengal | 365.53 | 492.52 | 448.64 |
| Sikkim | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
| Jharkhand | 0.00 | 0.00 | 7.01 |
| Dadra & Nagar Haveli | 0.00 | 0.00 | 1.53 |

***Statement-III***

*State-wise release of funds under the Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids/Appliances during 1999-2000,2000-2001 and2001-2002*

(Rs. in lakhs)

| Name of the State/UT | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 134.25 | 211.09 | 325.38 |
| Assam | 4.47 | 0.00 | 2.25 |
| Arunachal Pradesh | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
| Bihar | 31.76 | 22.16 | 63.31 |
| Chhattisgarh | 0.00 | 0.00 | 7.54 |
| Goa | 0.98 | 1.04 | 1.95 |
| Gujarat | 101.25 | 119.37 | 155.92 |
| Haryana | 19.04 | 121.37 | 21.86 |
| Himachal Pradesh | 19.80 | 98.29 | 6.25 |
| Jharkhand | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Karnataka | 28.51 | 5.00 | 75.78 |
| Kerala | 28.00 | 19.00 | 57.45 |
| Madhya Pradesh | 110.87 | 76.30 | 60.68 |
| Maharashtra | 149.85 | 159.98 | 144.33 |
| Manipur | 25.00 | 10.50 | 0.00 |
| Orissa | 135.61 | 120.87 | 231.34 |
| Punjab | 55.19 | 96.98 | 63.96 |
| Rajasthan | 348.78 | 360.00 | 382.92 |
| Tamil Nadu | 86.01 | 61.27 | 104.23 |
| Tripura | 1.45 | 0.72 | 4.15 |
| Uttar Pradesh | 1015.30 | 1052.94 | 1768.51 |
| West Bengal | 169.48 | 256.21 | 380.65 |
| Delhi | 376.17 | 117.65 | 401.68 |
| Uttaranchal | 0.00 | 0.00 | 94.51 |

**श्री कृपाल परमार**: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें विकलांगों की सहायतार्थ जो राशि आबटिंत की गयी हैं, वह बहुत कम है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में नेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से उन्होंने लगभग सौ करोड़ रूपया खर्च किया है । उनके बैनीफिशरीज़ 5 लाख 59 हजार हुए हैं, उनको अगर बराबर बांटकर दिया जाए तो यह राशि 50 रूपये पर बैनीफिशिरी, पर मथं पड़ती है । क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का प्रयास करेंगी ? दूसर, आपने जो राज्ययवार ब्यौरा दिया है, उसमें हर राज्य की राशि में कमी आयी हैं । जहां तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, संलग्नक-दो में 1999-2000 में जहां 32.42 लाख रूपये था, वह मौजूदा साल में 24.49 रह गया है । संलग्नक-तीन में हिमाचल प्रदेश की राशि जो सन् 2000 में 19 लाख से अधिक थी, अब 6 लाख 25 हजार रूपये रह गयी है । क्या सरकार इस राशि को विकलांगों की सहायता के लिए बढ़ाने का प्रयास करेगी ?

SHRI SATYABRATA MOOKHERJEE: Sir, the number of persons, who are afflicted with disabilities, differs from State to State. This Ministry's schemes are implemented through the State Governments or UT administrations or the NGOs. As and when proposals come, these are monitored; these are gone through; and if they are found to be in order, then only sanctions are given. Sir, in a particular year, no amount is fixed for any particular State. As and when schemes come, they are considered on merit and they are approved. There is no question of reduction.

**श्री कृपाल परमार**: जहां तक इस क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं का प्रश्न है,इसमें बहुत सी संस्थाएं ऐसी है जो नाममात्र काम कर रही हैं ।

**श्री सभापति** : इसमें संस्थाओं का प्रश्न नहीं है ।

**श्री कृपाल परमार :** सर, प्रश्न है । जवाब में कहा गया है कि आपके...

**श्री सभापति** : जवाब में कहा गया है, उससे आप बोल रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या है ?

**श्री कृपाल परमार :** मैं क्वेश्चन में यह जानना चाहता हूं कि जो संस्थाएं काम कर रही है उनके खिलाफ...

**श्री सभापति**: आपका ही समय जा रहा है । प्रश्न से रिलेटिड बात पूछें तो बात समझ में आती है । नेक्स्ट डा. कुमकुम राय ।

**डा. कुमकुम राय**: सभापति महोदय, एक अरब से भी अधिक आबादी वाले इस मुल्क में विभिन्न कारणों से विकलांगों की संख्या करीब पांच से सात करोड़ हो गई है । सरकार ने अभी इस सूची में भी बतलाया है कि वह इनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनांए, विभिन्न कार्यक्रम भी चला रही है और धन भी आंबंटित कर रही है । लेकिन ये योजनाएं और कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं और स्वंयसेवी संस्थाओं के मामध्य से चला रही है । सर, ये ज्यादातर....

**श्री सभापति** : सीधा क्वेश्चन करिए ।

**डा. कुमकुम राय**: मैं यहीं पूछना चाहती हूं कि यह संख्या है, यह गांव में अधिक है ।

**श्री सभापति :** गावं में संख्या अधिक क्यों हैं यह बता दीजिए ।

**डा. कुमकुम राय**: मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं क्या आप प्रत्येक प्रखंड स्तर पर विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करेंगे ?

SHRI SATYABRATA MOOKHERJEE: Sir, the position is that it is because of malnutrition, slow progress in the prevention of polio and other diseases and other reasons the number of disabled persons is found to be more in the rural areas than in the urban areas.

**डा. कुमकुम राय**: चेयरमैन सर, मेरा दूसरा प्रश्न है,...

**डा. सभापति** : दूसरा सप्लीमेंट्री नहीं होगा ।

**डा. कुमकुम राय** : सर, जो नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण दिया है...

**श्री सभापति** : ठीक है, जो दिया है आपको बता दिया ।

**डा. कुमकुम राय**: लेकिन तीन प्रतिशत आरक्षण के लिए सूची तक उपलब्ध नहीं है ? हर तीन वर्षो में विकलांगों की उपलब्ध पदों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए । यह सूची उपलब्ध नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या आरक्षित पदों की यह सूची उपलब्ध कराई गई है और इस उपलब्ध सूची में भर्ती के लिए क्या आप विशेष अभियान शुरू करेंगे या नहीं करेंगे ?

**प्रो. सैफुद्दीन सोज** : सर, जम्मू-कश्मीर के बारे में एक आम सवाल पूछना चाहता हूं ।

**श्री सभापति** : आम सवाल अलग से दें । आप कोई आज तक नहीं हैं, आप यहां छः वर्ष तक रहेंगे और इस संबंध में प्रश्न दुबारा रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, this question relates to

schemes for welfare of disabled persons. There is a legislation to ensure a certain reservation of seats in Government Service and other services for the disabled, whether they are visually impaired or physically disabled. Would the hon. Minister be pleased enough to inform us whether these reservations, in fact, remain largely unfulfilled; and if so, what steps the Government are taking to ensure that the reservations are fully extended?

SHRI SATYABRATA MOOKHERJEE: Sir, there is a three per cent reservation for these disabled people and it is mostly filled up. If there is any shortfall, it is always made up because now there is an embargo on fresh appointments. But, so far as the disabled people are concerned, these are always filled up.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir.under the broader subject of social justice and empowerment...

**श्री सभापति** : नहीं –नहीं इस पर नहीं, आप सीधा क्वेश्चन करिए ।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: 3 cT^tr ^f *W&U* ^ #<* 3 i Nothing is being done under this broader question of social justice and empowerment in Jammu and Kashmir. Last year, my understanding...

**श्री सभापति** : आप यह मत करिए, मैंने आपको एलाउ किया है केवल इसलिए ...(**व्यवधान** )

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Last year, the Government of India was thinking of conducting a survey of handicapped people in Jammu and Kashmir State. Has that survey been done? Is there an instrument of social justice in shape in J&K? That is what I want to know.

SHRI SATYABRATA MOOKHERJEE: Sir, in the 2001 Census, we are collecting figures with regard to the disabled people. In the 1991 Census, these figures were not there. We are expecting, shortly, to have figures in respect of the disabled people.

*267. [The questioners (SHRI MUNAVVAR HASAN AND SHRI KHAN GHUFRAN ZAHIDI) were absent for answer *vide* page 53 *infra.]*